दिनांक–06.01.2023

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 156(3) द०प्र०सं० का निस्तारण

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया।

आवेदक की ओर से यह प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण पर षडयन्त्र करके कूटरचना करके रूपये हड़पने सहित अन्य आरोप लगाये गये हैं।

उपरोक्त आवेदन पर संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार प्रस्तुत मामले में थाना हाजा द्वारा कोई विवेचना नहीं की जा रही है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को मामले के समस्त तथ्यों की भली–भांति जानकारी है, जिसकी पुष्टि उसके एवं उसके गवाहान का बयान न्यायालय में अंकित करके की जा सकती है। इसके लिए अन्य अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता होगी। ऐसे में प्रस्तुत मामले में पुलिस द्वारा विवेचना कराये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि विधि दृष्टांत एस०सी०आर० जेसेफ माधुरी उफ विशेश्वरानन्द एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी एवं अन्य 2001 (2), पेज 320 एस०सी० एवं सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य, ए०सी०सी० 2007(59) पेज 739 में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में प्रस्तुत मामला परिवाद के रूप में दर्ज करना उचित एवं न्यायसंगत होगा।

आदेश

पत्रावली परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी व गवाहान अंतर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० दिनांक 06.03.2023 को पेश हो।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कन्नौज।
JO CODE: UP1702